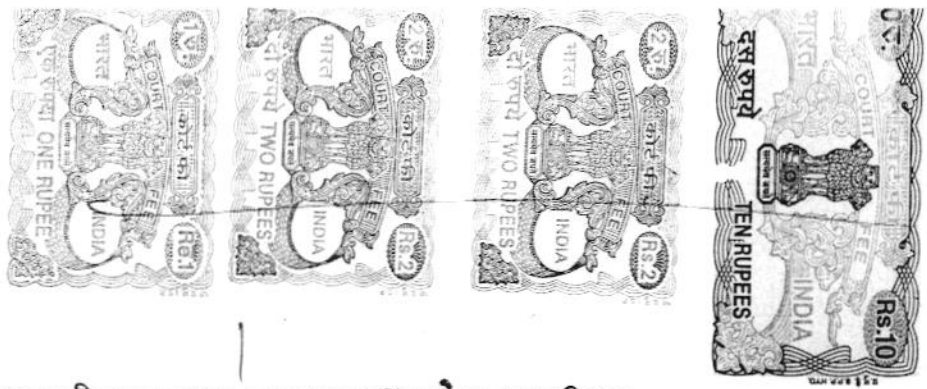

२१५

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४ निगरानी R 2191-III/14

दिनांक 21.7.14 को श्री कृष्ण कुं० अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
21.7.14
A.S.O

१- अरविन्द सिंह उर्फ मल्लू राजा पुत्र श्री हरपाल सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम खोहरा, तहसील- बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़(मध्यप्रदेश) ।

२- श्रीमती अजयराजे पत्नी त्रिलोक सिंह-ठाकुर, निवासिनी- ग्राम ज्योराहा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- श्रीमती गनेशीबाई कथित बेवाहर दास कुशवाहा, निवासी ग्राम पिपरकलां, तहसील बड़ामलहरा हाल निवासी भरना, माइन्स क्वार्टर एम।५५ घोड़ाबाड़ी खुर्द, तहसील नामई जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) ।

२- कृष्णा कथित पुत्री हरदास कुशवाहा पत्नी धर्मराज मौर्य निवासिन ग्राम बाड़ी रामजी चौक, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) ।

३- रेखा कथित पुत्री हरदास पत्नी पवत पटेल, निवासिनी ग्राम सुनवाहा, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) ।

४- कीरती कथित पुत्री हरदास पत्नी लखमण कुशवाह निवासिन ग्राम- खेरमानी हनोतिया, तहसील- जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) ।

५- आरती कथित पुत्री हरदास कुशवाहा निवासिन अम्बिका कालोनी, सिवनी, तहसील व जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) ।

६- आशा पुत्री भग्गू काछी पत्नी विजय सिंह, निवासिनी पिपराकलां, तहसील बड़ा मलहरा

हाल [illegible] निवासिन बड़ा मलहरा, वार्ड क्रमांक ५,
जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश)

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय बड़ा मलहरा जिला छतरपुर दिनांकी ८-५-१४ अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३०।अ-६।१३-१४ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रार्थीगण ने विवादित भूमि अभिलिखित भूमि स्वामी प्रतिप्रार्थी क्रमांक-६ से पंजियत विक्रय-पत्र द्वारा क्रय की है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी वर्तमान प्रकरण में हित रखने वाला व्यक्ति होकर स्वत्वाधिकारी हैं । विक्रेता प्रकरण में पक्षकार है, ऐसी स्थिति में उसे वर्तमान प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था ।

४- यह कि, प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया स्वत्व एवं हित प्रमाणित हैं, तब उसके द्वारा प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने के आवेदन-पत्र को निरस्त किये जाने में भूल की गई है ।

५- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-१ नियम १० के प्रावधानों का अर्थ सही नहीं समझा है ।

६- यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रमांक १ लगायत ५ प्रतिप्रार्थी क्रमांक ६ का अपूर्ण पता लिखाकर उसके विरुद्ध गलत तौर पर एकतर्फा कार्यवाही के प्रयास में हैं ऐसा आदेश पत्रिका दिनांकी ३०-१२-१३ के अवलोकन से स्पष्ट है । जब प्रार्थीगण ने पक्षकार बनाये जाने के आवेदनपत्र के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2191-दो/2014 जिला छतरपुर अरविन्द विरूद्ध गनेशीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019 8/1/19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री सी.एम.गुप्ता उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 30/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

8/1/19

(आर.के. जैन)
सदस्य